



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

No.: 005/2009/FS/01 (3)/2014 (Part-10) / 5/6

Date: 21.08.2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अकादमिक अध्यादेश 04 (परीक्षा) के अनुच्छेद-EXA-4.30 (A) के अनुसार परीक्षा तुल्यता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. कुलपति | : | अध्यक्ष |
| 2. प्रतिकुलपति | : | सदस्य |
| 3. सभी संकायाध्यक्ष | | |
| 1. संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 2. संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 3. संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 4. संकायाध्यक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 5. संकायाध्यक्ष, सृजन विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 6. संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 7. संकायाध्यक्ष, शिक्षा विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 8. संकायाध्यक्ष, प्रबंधन विद्यापीठ | : | सदस्य |
| 4. प्रो. दिविक रमेश * | : | सदस्य |
| 5 परीक्षा नियंत्रक | : | सदस्य |
| 6 कुलसचिव | : | सचिव |

* विद्या-परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष, विद्या-परिषद् द्वारा नामित सदस्य। इनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रति: संबंधित सभी को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय
3. सहा. कुलसचिव (परिषद्) को विद्या-परिषद् की आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए।
4. प्रभारी, परीक्षा विभाग को अकादमिक अध्यादेश 04 (परीक्षा) के अनुच्छेद-EXA- 4.30(B) के आलोक में उक्त समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति।